

निविदा सूचना

13वें वित्त आयोग/तृतीय राज्य वित्त योजनान्तर्गत अधोहस्तारी के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2015-16 की स्वीकृति कार्ययोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की (कार्य प्रभारी की मॉग के अनुसार) सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत स्थानीय एवं प्रतिष्ठित फर्मों एवं पीओडब्ल्यूडी/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदारों के स्थायी स्थापित फर्म जिनका आयकर वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण हो,से मुहरबन्द निविदा दिनांक 21-08-2015 तक आमंत्रित की जाती है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री अनु०लागत	धरोहर राशि	योजना का नाम	कार्यपूर्ति अवधि
1	ग्राम घनेती के मजरा गुजरपुरा में बरसाती नाले पर पुलिया एवं मिट्टी भराव कार्य।	856800.00	85680.00	तेरहवाँ वित्त	06माह
2	ग्राम कौंधरपुर के मोहल्ला वरकलीगंज में नाली/ खडन्जा कार्य।	503500.00	50350.00	तृतीय राज्य वित्त	06माह
3	ग्राम विचरा बाल किशनपुर में प्रा०पाठशाला से जूनियर हाईस्कूल तक खडन्जा निर्माण कार्य।	391800.00	39180.00	तृतीय राज्य वित्त	06माह
4	ग्राम हैवतपुर में खडन्जा मरम्मत कार्य।	104200.00	10420.00	तृतीय राज्य वित्त	06माह
5	ग्राम मानपुर चिकटिया के मजरा वरकलीगंज में खडन्जा निर्माण कार्य।	202700.00	20270.00	तृतीय राज्य वित्त	06माह

नियम व शर्त:-

1. निविदा फार्म/क्रय की जाने वाली सामग्री से सम्बन्धित दिशा-निर्देश अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/खण्ड विकास अधिकारी,क्यारा कार्यालय से दिनांक 20-08-2015 तक रुपये 500.00 एवं 14 प्रतिशत वैट के साथ जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र भरकर उसके साथ धरोहर की राशि मूल्य का 2 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक का एफओडीओ आर०/एनओएसओसी०/बैंक ड्राफ्ट जो कि बंधक खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय क्यारा के पक्ष में मुहरबन्द लिफाफे में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 21-08-2015 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में टेण्डर बाक्स में सीलबन्द टेण्डर 2:00 बजे तक डाले जायेंगे तथा धरोहर राशि का शेष 8 प्रतिशत एक माह के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा भुगतान होने वाले बिलों से कटौती की जाएगी। निर्धारित तिथि व समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. प्राप्त टेण्डर को कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,क्यारा, के समक्ष दिनांक 21-08-2015 को समय 3:00 बजे दिन में सार्वजनिक रूप से खोले जायेंगे।
4. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त बिक्री की निर्धारित दरों में वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के अन्दर कोई मूल्य परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
5. निविदा एवं मानक के अनुसार समय से सामग्री आपूर्ति कराना तथा मार्का ब्राण्ड भी उल्लिखित कराना होगा। मानक के अनुसार आपूर्ति न करने में कमी पायी जाने पर बिना नोटिस के निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा को स्वीकार्य करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी खण्ड विकास अधिकारी,क्यारा,बरेली में निहित होगा।
7. किसी भी वाद-विवाद की दशा में जनपद न्यायालय बरेली ही मान्य होगा।
8. निविदा प्रपत्र भरते समय निविदा की दरों का अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी उल्लेख किया जाये।

**खण्ड विकास अधिकारी,
क्यारा(बरेली)।**

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,क्यारा(बरेली)।

पत्रांक: 140-C/लेखा/13वें/तृतीय राज्य वित्त यो०/टोनो/2015-16

दिनांक: 01.08.2015

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा० अध्यक्ष,ब्लाक प्रमुख,क्यारा(बरेली)।
2. समस्त जनपद/ब्लाक स्तरीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. सम्पादक,महोदय दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में अधिकतम 12 प्वाइंट टाईप में न्यूनतम दरो पर प्रकाशित कराकर,भुगतान बिल प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रतियों सहित भेजने का कष्ट करें।
4. एनओआई०सी०कलेक्ट्रेट,बरेली को इण्टरनेट पर आनलाइन करने हेतु।

**खण्ड विकास अधिकारी,
क्यारा(बरेली)।**